हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक : हे०न०ब०ग०वि०वि०/ आर०ओ०/2021/287 दिनांक :27/10/2021

कार्यालय आदेश (287/2021)

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22.10.2021 के एजेण्डा नं0 14.15 में हुए विनिश्चय के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में अध्यनरत स्नातकोत्तर के छात्र/छात्राओं हेतु तीनों परिसरों को दिनांक 08.11.2021 से चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुरूप दिनांक 08.11.2021 से निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों के पठन–पाठन हेतु तीनों परिसरों को खोला जाता हैः–

1. सभी स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण–पत्र आवश्यक है।
2. तीनों परिसरों में भीड़ भाड़ से बचने के लिए विभिन्न बैचों में क क्षायें आयोजित की जायेंगी।
3. प्रत्येक बैच में कक्षा में एक बार में केवल 50 प्रतिशत विद्यार्थी ही उपस्थित होंगे।
4. स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन हेतु तीनो परिसरों को खोलने का निर्णय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्षों की सिफारिशों पर लिया जायेगा।

उत्तराखण्ड से बाहर के छात्र/छात्राओं को छात्रावासों/परिसरों में प्रवेश करने से पूर्व दोनो वैक्सीन लगाये जाने का प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड शासन के स्मार्ट सीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराये जाने का प्रमाण पत्र साथ में लाना होगा। उत्तराखण्ड में रह रहे छात्र/छात्राओं को दोनो वैक्सीन लगाये जाने का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से दिखाना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें छात्रावासों/परिसरों में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

एतद्द्वारा उपर्युक्त स्नातकोत्तर के सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वो कोविड–19 के लिए जारी भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन के दिशा–निर्देशों का अक्षशः पालन सुनिश्चित करते हुये अपना पठन–पाठन दिनांक 08.11.2021 से अग्रिम आदेशों तक जारी रखेंगे।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

27/10/21

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/नियंता/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष।
3. परिसर निदेशक (टिहरी/पौड़ी/चौरास)/निदेशक आई०क्यू०ए०सी०।
4. वित्त अधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक/ संयुक्त कुलसचिव/ समस्त उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव/ अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता/प्रभारी उप कार्यालय देहरादून।
5. सुरक्षा अधिकारी को इन निर्देशों के साथ कि विश्वविद्यालय परिसरों में प्रवेश करने वाले समस्त छात्र/छात्राओं हेतु कोविड–19 एस०ओ०पी० का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
6. प्रभारी सिस्टम मैनेजर को उक्त सूचना वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सोशल मीडिया चैंपियन/ कोर्डिनेटर डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर/ समस्त अनुभाग अधिकारी/प्रभारी।
8. जन सम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि इस सूचना का वृहद रूप से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।
9. निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

27/10/21

कुलसचिव